International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 29-04-2022, Accepted: 13-05-2022, Published: 30-05-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 38-41

महिलाओं के घरेलू कार्यों का राष्ट्रीय विकास में योगदानः आर्थिक पहचान का नया दौर

डॉ सुनीता पारीक
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, अदिति कॉलेज बवाना, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
देश के सभी व्यवसाय तथा उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद मे व्यवस्थित तरीके से आंकड़ों को भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष संग्रहण और जारी किया जाता है। लेकिन इसमें एक क्षेत्र की गिनती कभी भी भारत सरकार के द्वारा किसी संस्थान,विभाग, या अन्य माध्यम से नहीं की गई। लेकिन जनवरी 2021 मे सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला किया और इसमें न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और सूर्यकांत भी शामिल थे। इस फैसले ने महिलाओं के द्वारा घरेलू कार्य को एक महत्वपूर्ण उत्पादक कार्य तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के रूप में रेखांकित किया। प्रस्तुत लेख में महिला अधिकारों के संदर्भ में महिलाओं के द्वारा किए गए घरेलू कार्य का विश्लेषण तथा उसका राष्ट्र देश समाज और परिवार में योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका की विवेचना की जाएगी कि किस प्रकार से विकसित देशों में महिलाओं के द्वारा किए गए घरेलू कार्य को एक महत्वपूर्ण सम्मानजनक दृष्टि से समाज के द्वारा आर्थिक योगदान के संदर्भ में परिभाषित तथा उसके योगदान की चर्चा देश की सभी संस्थाओं के द्वारा समय–समय पर की जाती है। घरेलू कार्य का एक आर्थिक पक्ष के संदर्भ में समय–समय पर सरकारों के संस्थान तथा एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट जारी करके घरेलू कार्य की भूमिका को सकल घरेलू उत्पाद के एक अंग के तौर पर दर्शाया है।

मूल शब्दः घरेलू कार्य, सकल घरेलू उत्पाद,महिला अधिकार

प्रस्तावना
अधिकांशतः महिलाओं के मन में यह सवाल आना जायज है कि वर्तमान में यह समाज एक गृहणी के रूप में उनके द्वारा किए गए घर के काम को वह सम्मान क्यों नहीं दे पाता जो कि एक पुरुष द्वारा आजीविका चलाए जाने के लिए दिए गए काम को देता है। ऐसा क्या है कि आजादी के 75 साल बाद भी महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति पर विचार करते हुए हम किसी भी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अचानक ही ठहर जाते हैं। अगर एक महिला के घर के अंदर किए गए कामों का आकलन किया जाए तो वह पुरुषों के काम के घंटों की तुलना में कहीं ज्यादा निकलता है,जहां शहरी महिला औसतन दिन भर में छः घंटे के लगभग घर के काम को देती है वही ग्रामीण महिलाओं को यह औसत कुछ घंटे और बढ़ जाता है। फिर भी अक्सर समाज में महिलाओं को यह सुनने को मिलता है कि ऐसा भी क्या काम है जो वह घर में रहकर पूरा दिन करती है और यही नहीं बल्कि वर्तमान पीढ़ी की महिलाएं या यूं कहें कि सीनियर वर्ग की महिलाएं भी यह कहने से नहीं चूकती हम भी घंटों इसी काम में लगे रहते थे। इसका मतलब साफ है कि पितृसत्तात्मक समाज के इस ढांचे के लिए हम सभी कहीं ना कहीं बराबर रूप से जिम्मेदार हैं, जहां महिलाओं के मन में यह बैठा दिया गया है कि घर के कार्यों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही बनी है और जिसके लिए उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। यह जानते हुए भी कि इस घरेलू कार्यों को करने की कभी कोई कदर नहीं हो सकती महिलाएं अपना अधिकांश जीवन सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की सेवा में बच्चों को पालने में और घर के अंदर रोजमर्रा के लिए जाने वाले कामों को देती है। ग्रामीण महिलाएं तो बुजुर्ग और बच्चों के अलावा जानवरों के कामों में भी अपना अधिकांश समय लगाती है जिसकी इस समाज में कहीं कोई आर्थिक समानता के तौर पर गणना नहीं की गई है। स्वंत्रता और समानता के इस दौर में जहां हम बड़ चढ़ कर लोकतांत्रिक आदर्शो की दुहाई देते है, वहा एक महिला के घर में किए गए के कामों को अभी तक किसी भी गिनती में न रखा जाना वास्तव में चिंता का विषय है।
आजादी प्राप्ति के साथ जहां संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हुए अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है और सभी वर्गों को एक समान मानता है, वहीं महिलाएं आज भी दोयम दर्जे का जीवन जीती रही है ।जो महिलाएं घर से बाहर निकल कर पैसा कमा रही है उन्हें फिर भी उपयोगी माना जाता है परंतु घर में रहने वाली महिला, को रात दिन घर के कामों में लगे हुए भी, क्योंकि वह घर के बाहर से घर के अंदर सीधा कोई आमदनी लेकर नहीं आती है, इसीलिए उसके घर में किए गए कार्यों को कोई वरीयता ना देते हुए बेकार समझा जाता है और चौबीस घंटे सातों दिन की परंपरा को निभाते हुए वह किसी बिना किसी आराम या छुट्टी के काम करती है। इस पर भी निम्न या मध्य आय अर्जित करती महिलाए, कारखानों फैक्ट्रियों या लघु उद्योग धंधों में लगी महिलाए, घर के कार्य को कुशलता से पूरा करने के साथ–साथ कार्यस्थल के कामों को कुशलता से पूरा करने की जिम्मेदारी भी निभाती है ।

जनवरी 2021: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
आज यह माना जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में महिला द्वारा किए गए घर के कार्यों को जगह दी जानी चाहिए। और इस दिशा में जनवरी 2021 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पहल को महिलाओं के अधिकारों को संविधान में दिए

गए सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर, राष्ट्र निर्माण, सकल घरेलू उत्पादन तथा महिला अधिकारों के लिए लड़ी गई लड़ाईयो के सम्मान के तौर पर भी देखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहना कि महिलाएं परिवार को पुरुषों से ज्यादा अहमियत देती हैं महिलाओं के इस दोयम दर्जे की स्थिति पर विराम लगाने के लिए पितृसत्ता के चेहरे पर एक करारा तमाचा है परंतु न्यायपालिका द्वारा यह फैसला दिए जाने के पश्चात भी अनायास ही यह सोच जहन में आती है की क्या समाज में पित्रसत्ता की कमान संभाले कुछ वर्ग इस दोयम दर्जे की व्यवस्था से महिलाओं को कभी बाहर निकलने देना चाहेंगे? शायद मजबूर होकर ही सही पर उन्हें अब यह करना ही पड़ेगा। अगर आज इस सामाजिक व्यवस्था में सुधार की बात हो रही है और महिलाओं के गृह कार्य में उनके दिए गए योगदान को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में शामिल किया जा रहा है तो यह ना केवल समानता के सिद्धांत को सही मायनों में स्थापित करने की बात करता है बल्कि वास्तविक रूप से एक पूर्ण आर्थिक समानता की बात भी करता है।

अवैतनिक घरेलू कार्य की गणना

सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में यह फैसला या टिप्पणी की कि 'घर में काम करने वाली महिला पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा और बिना पैसे के काम करती है' उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के गृह कार्य में दी गई जिम्मेदारी को नोटिस में लाया है जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि ग्रहणी की काल्पनिक आय की गणना उसके काम,श्रम और बलिदान के मान्यता पर आधारित होनी चाहिए।[1] यह टिप्पणी शीर्ष अदालत द्वारा 2014 में एक पति पत्नी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरांत की। चूंकि इस महिला का पति एक शिक्षक था और वह महिला एक गृहिणी थी तो इस मामले में व्यक्ति के पिता को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को यह कहकर इंश्योरेंस कंपनी ने कम कर दिया कि महिला एक ग्रहणी थी और उसका मुआवजे पर कोई अधिकार नहीं था परंतु सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति के पिता को दी जाने वाली राशि को बदलकर 11 20 लाख से बढ़ाकर 33.20 लाख कर दिया। और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मरने वाले व्यक्ति के पिता को दी जाने वाली राशि को बदलकर मई 2014 से 9 फ़ीसदी वार्षिक ब्याज के साथ यह राशि चुकाने की बात कही।[2] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा ग्रहणी को उसके द्वारा घर में किए गए काम के आधार पर मिलना चाहिए। इस फैसले ने समाज में सदियों से महिलाओं के घरेलू काम को नजरंदाज करने के सोच पर कड़ा प्रहार किया और हम सबको चेताया अगर अब भी महिला द्वारा किए गए घरेलू कार्यों की अनदेखी की तो समानता की बात करना बेमानी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 15.98 करोड महिलाओं ने अपने पेशे को हाउसहोल्ड वर्क करार दिया जबकि पुरुषों की यह संख्या सिर्फ 57 .9 लाख थी।ङ जस्टिस रमन्ना ने ऐसे ही आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाएं पूरा दिन अवैतनिक घरेलू कामों पर और घर के सदस्यों की देखभाल पर क्रमशः 16. 9 फ़ीसदी और 2. 6 फ़ीसदी खर्च करती है वहीं अगर इसमें पुरुषों के खर्च की बात की जाए तो यह फ़ीसदी दर क्रमशः 1.7 फ़ीसदी और 0. 8 फ़ीसदी ही है।[4] इतना ही नहीं गांव में रहने वाली महिलाएं इस कार्य के अंतर्गत फसलों की बुवाई कटाई से लेकर जानवरों को खाना खिलाना, नहलाना, उनका दूध दोहना इत्यादि सभी कामों को करती है। ऐसा नहीं है की महिलाएं इन सब कामों को अपनी इच्छा से बहुत खुश हो कर करती है , बल्कि सांस्कृतिक मानकों के तहत उन पर यह काफी हद तक यह ज़िमेदारी सौंप दी गई है । सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले से समाज में यह संदेश आया कि महिलाओं को इस काम के वैल्यू दी जाए। यह पहली बार नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू सेवाओं में महिलाओं द्वारा किए गए कामों को आर्थिक वरीयता के आधार पर आंका है इसके पहले भी उसने अपने फैसले में 2001 में दिए गए फैसले को आधार बनाया। जस्टिस रमना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2001 में लता बधावा केस में, जिसमें की एक समारोह के दौरान आग की घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पर फैसला किया गया तथा उन्होंने कहा कि मुआवजा हाउसवाइफ को उनके घर में किए गए काम के आधार पर मिलना चाहिए।[5] फैसले के दौरान नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया औसतन महिलाएं एक दिन में 299 मिनट अवैतनिक तरीकों से घरेलू कामों को करती है जबकि पुरुष सिर्फ 97 मिनट करते हैं।[6] 'टाइम यूज इन इंडिया 2019' नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि, इसी तरह 1 दिन में महिलाएं अपने घर के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल में औसतन 134 मिनट कार्य करती है जबकि पुरुष इसमें सिर्फ 76 मिनट निकालते हैं।[7]

सवाल अब यहां पर यह है कि सामाजिक मनोवृति हो या सांस्कृतिक मूल्य , आखिर क्यों महिलाएं ही लगातार घर के कामों में लगी रहती है और क्यों उनके इस घरेलू कार्यों में उनके द्वारा की गई मेहनत को आज तक देश के आर्थिक व्यवस्था में योगदान के रूप में नही देखा गया है। परंतु इस फ़ैसले के साथ आज वो समय आ गया है कि उनके द्वारा किए जाने वाले इन घरेलू कार्यों का सही मूल्य निकाला जाए।

आर्थिक पहचान का समय

देश के शीर्ष न्यायपालिका द्वारा महिलाओं के घरेलू कार्यों को महत्व दिए जाने से और उनके आर्थिक वैल्यू की गणना किए जाने से समाज में यह संदेश जाएगा की कानून और न्यायपालिका घर में काम करने वाली महिला की मेहनत के मूल्य, सेवा की भावना की अहमियत को समझते हैं।कभी हम में से किसी ने सोचा है कि अगर महिलाएं घर के लिए दी जाने वाली अपनी सर्विस बंद कर दे तो पूरा का पूरा तंत्र ही ठप हो जाएगा क्योंकि महिला का यह अनपेड वर्क ही हमारे इस सिस्टम को सब्सिडाइज करता है। महिलाएं श्रम शक्ति को पुनर्जीवित कर रही है, उसे संभाल रही हैं। इस तरह हर आदमी के श्रम में महिला का बिना कोई मेहनताना लिए , किया जाने वाला श्रम भी शामिल है जिसे कभी महत्व नहीं दिया गया ।तकनीकी भाषा में इसे अबस्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रम के पुनर्जीवन में सीधे–सीधे अपना योगदान देता है।[8]

महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों का जीडीपी में योगदान

महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों को जीडीपी में योगदान के रूप में स्वीकार्यता दिलाने की पक्षधर अर्थशास्त्री लेखिका और न्यूजीलैंड की राजनेता मेरेलिन वेरिंग मानती है कि जीडीपी में महिला द्वारा गर्भधारण तक को एक उत्पादन गतिविधि नहीं माना जाता जबकि वह भविष्य के मानव संसाधन को जन्म देती हैं। अब समय है कि महिलाओं द्वारा किए गए घर के कार्यों को किस तरह आर्थिक पहचान दी जाए और ये स्वीकार किया जाए की एक घरेलू महिला के द्वारा घर में किया गया काम भी वही महत्व रखता है जो कि बाहर जाकर पैसा अर्जित करने वाले को मिलता है।[9]

अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरेशन में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इंदिरा हिरवे के अनुसार महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को एक उत्पादन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए उनके अनुसार महिलाएं जो भी कार्य करती हैं चाहे बाजार से सामान लाना हो या बच्चों की देखभाल करनी हो या घर का रखरखाव करना हो। यह सभी के सभी कार्य सीधे तौर पर उत्पादन से जुड़ी हुई सर्विस है और उन्हें उनके इस गृह कार्य में योगदान से देश की आमदनी और देश को सेहतमंद बनाने में योगदान मिलता है।[10]

परिवार नामक संस्था के अस्तित्व की सुत्रधार

क्या कभी हम यह विचार कर सकते हैं कि अगर महिलाएं इस गृह कार्य को बंद कर दें तो जिस परिवार नामक संस्था पर हमारा समाज टिका हुआ है वह ध्वस्त हो जाएगा। अगर सिर्फ एक दिन भी देश के महिलाएं अपने रोज के दिनचर्या के निर्धारित कार्यों को करने से मना कर दे तो उसका परिणाम यह होगा कि पूरा का पूरा देश, दफ्तर, अर्थव्यवस्था सब रुक जाएगी और पुरुषों को सब कुछ अपना काम छोड़कर तत्काल घर भागना पड़ेगा। अतः सिर्फ एक दिन का काम छोड़ने भर से ही महिलाओं ये साबित कर सकती है कि उनके बिना परिवार को चलाना ना केवल असंभव है बल्कि दूर–दूर तक पुरुष की उस सोच से भी बाहर है जहां वह अपने मस्तिष्क में सिर्फ ये कल्पना भी करें कि वह परिवार को चला सकता है और बनाए रख सकता है। इस एक दिन की ऐसे महिलाओं की हड़ताल पूरे के पूरे तंत्र को हिला सकती है और इसके द्वारा यह साबित किया जा सकता है कि अब वक्त आ गया की न केवल उनके काम को सामाजिक पहचान दी जाए बल्कि अर्थव्यवस्था में और देश के विकास में उनके योगदान की गणना की जाए।

अवैतनिक घरेलू श्रम का मूल्य

देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ के घरेलू कार्य को अहम माना है और उसे महत्व देते हुए राष्ट्रीय आय में इसे शामिल करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें इसके लिए कई तरीके अपना सकती है ताकि एक सुनिश्चित आय तय हो सके।[11] अगर कोई महिला बाहर जाकर ₹50000 या ₹100000 कुछ भी कमा रही है और इसके साथ साथ में घर के भी काम कर रही है तो उसके घर के काम की कीमत जो वह बाहर से कमा कर ला रही है, वही मानी जानी चाहिए। इस फार्मूले के अलावा एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी है जिसमें हम यह मानते हैं कि एक महिला द्वारा किए गए घर के काम का मूल्य उन सेवाओं के लिए किए जाने वाले खर्च के आधार पर तो होता है क्योंकि अगर एक महिला की जगह घर का वही काम कोई और करेगा तो उसे उन सेवाओं के लिए जो पैसा तय किया जाएगा वह देना होगा तो क्योंकि वह महिला खुद घर का वह काम करके उस पैसे को बचा रही है तो वही उस महिला के द्वारा किए गए कार्य का मूल्य होगा। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं घर में बिना पैसे के ही पुरुषों की तुलना में कार्य करती है जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं मांगते और पुरुषों से ज्यादा समय घर को संभालने में लगाती है। इसके लिए शीर्ष अदालत ने यह माना कि घरेलू महिला और उसके कामकाजी पति की कीमत एक समान है।[12] कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं पितृसत्ता की दुहाई देने वाले इस समाज को एक घरेलू महिला के काम की कीमत शायद समझ में आए और वह यह समझ सके कि, जहां एक पुरुष के द्वारा बार–बार एक महिला को यह कहा जाना कि वह घर में रहकर क्या करती है, उस महिला के लिए कितना पीड़ादाई रहा होगा।

विगत कई सदियों से इस तथ्य के बावजूद भी कि महिलाएं घर का काम करके भी परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से योगदान करती है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी समूची भागीदारी दर्ज कराती हैं इन्हें पारंपरिक रूप से आर्थिक योगदान के बाहर रखा गया है। आज जबकि देश की सुप्रीम न्याय व्यवस्था के द्वारा यह माना गया कि होममेकर्स की अनुमानित आय का आकलन होना चाहिए उसके द्वारा दिए गए काम को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हाउसवाइफ की कम से कम वैल्यू,, रुपयों में मासिक आय सुनिश्चित होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समूह ऑक्सफैम ने दावोस में 'टाइम टू केयर' नामक अपने रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक असमानता की वजह से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां प्रभावित हो रही है।[1] ङ इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में भले ही महिला और पुरुषों को बराबर वेतन मिलता हो लेकिन गैर सरकारी और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं पुरुषों को बराबरी के वेतन के आधार पर नहीं देखा जाता है और ऑक्सफेम ने ग्लोबल से स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 2018 में भारत की खराब रैंकिंग (108वे के पायदान) का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 2006 के मुकाबले सिर्फ 10 स्थान की कमी आई है वह वैश्विक औसत से काफी पीछे रहते हुए चीन और बांग्लादेश देशों से भी पीछे हैं।[14]

निष्कर्ष

अतः यह समझना आवश्यक है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब स्पष्टतः सबको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के समान अवसर से है लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में किताबी तौर पर पितृसत्ता को समाप्ति की बात करते हुए अभी भी पितृसत्तात्मक लबादे को अपने ऊपर ओढ़े सभी पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर घर के कामों को करने की जिम्मेदारी जबरन थोप रखी है। और विडंबना यह है कि सदियों से उनके इस गृह कार्य के योगदान को सम्मान भी नहीं दिया गया और ना ही किसी रूप में उसको गिना गया, लेकिन कोर्ट के जनवरी 2021 के इस फैसले के साथ ही महिला अधिकारों और समानता के आदर्शो की सार्थकता को स्वीकार करते हुए महिलाओं के घरेलू श्रम को भी महत्व दिया जाएगा, और उसे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल भी किया जाएग। और सबको यह मानना

पड़ेगा कि इस अवैतनिक श्रम के बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। न्यायपालिका के फैसले से घरेलू कार्यों के करने में एक महिला के मेहनत को महत्व दिया जाएगा। और अगर गहन रुप में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप में देखा जाए तो घर के कार्य की कीमत सिर्फ पैसा भी नहीं है बल्कि उसे सम्मान देने की बात भी है। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए निर्धारित कर दिए गए इस प्रकार के एकाधिकारक्षेत्र को संतुलित करने के लिए इसमें हम सबको बराबर की भूमिका निभानी होगी। ताकि सही मायनों में बराबर सामाजिक भागीदारी की बात को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

संदर्भ सूची

1. संजीव तिवारी, दफ्तर जाने वाले पति की तुलना में घर में रहकर ज्यादा काम करती है महिलाः सुप्रीम कोर्ट, जागरण, एम. जागरण. कॉम, अपडेटेड 6 जनवरी 2021,10.58पीएम
2. जस्टिस रमना ,श्बाहर काम करने वाले पुरुष और घर संभालने वाली महिला के काम की अहमियत है बराबर': सुप्रीम कोर्ट, TV9 हिंदी.कॉम बुधवार 6 जनवरी 2021 5:01 पीएम
3. ibid
4. सत्यकाम अभिषेक, 'तुम घर में रहकर करती क्या हो पत्नी को यह सुनाने वाले पतियों को सुप्रीम कोर्ट की यह बात जरूर पढ़नी चाहिए' Times News network, अपडेटेड 7 जनवरी 2021 टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क इंडिया टाइम्स. कॉम
5. op-cit जस्टिस रमना, टीवी 9 हिंदी. कॉम
6. op-cit, सत्यकाम अभिषेक, Times News network, इंडिया टाईम्स. कॉम
7. ibid
8. अनंत प्रकाश, 'महिलाएं घर का काम करना बंद कर दे तो क्या होगा?' बीबीसी संवाददाता, बीबीसी न्यूज हिंदी, बीबीसी.कॉम,अपडेटेड 8 मार्च 2021,
9. op-cit, जस्टिस रमना, टी.वी 9 हिंदी.कॉम
10. ibid
11. op-cit, अनंत प्रकाश , बीबीसी न्यूज, बीबीसी.कॉम
12. ibid
13. ibid
14. ibid